


वित्त एवं लेखा विभाग
संख्या : SO(Misc)/Accounts/2011-16
दिनांक : 15.3.2018

सी.एस.आई.आर. मुख्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 29-5(1)2008/ओबी (रिपोर्ट्स) दिनांक 04.12.2014 के अनुसार सभी अग्रिम (Imprest Advance), परिक्रामी अग्रिम (Revolving Advance) तथा क्रय करने हेतु लिए गए अग्रिम धन राशि का समायोजन 31.03.2018 से पहले किया जाना है।

अतः सभी नोडल अधिकारियों, समूह प्रमुखों, परियोजना प्रमुखों, विभागाध्यक्षों, अनुभागाध्यक्षों व अन्य सभी परिक्रामी अग्रिम के धारकों से अनुरोध है कि सभी परिक्रामी अग्रिमों का समायोजन बिल वित्त एवं लेखा विभाग में 19 मार्च 2018 तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें। जिससे कि उनका समायोजन समय से किया जा सके तथा 31 मार्च 2018 को OB की NIL रिपोर्ट सी.एस.आई.आर. मुख्यालय को भेजी जा सके।




(राजेश कुमार पारीक)
वित्त एवं लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सभी सूचना पट्ट
2. सीरी बेवसाइट / इमेल